रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 1987/अग्रहायण 5, 1909
No. 597] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 1987/AGRAHAYANA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 1017(अ)—जबकि तात्कालिक परिवहन मंत्रालय जल-भूतल परिवहन विभाग (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का.आ. 786(ई) दिनांक 25 अक्तूबर 1985 द्वारा कोचीन गोदी श्रमिक मंडल (इसके बाद जिसे मंडल कह कर अभिहित किया गया है।) में गोदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे।

तथा जबकि गोदी श्रमिक (रोजगार विनियम) नियमावली 1962 के नियम 4 के उपनियम (4) के क्लाज (iv) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार का मत है कि श्री टी.एम. अब्बू अब उक्त मंडल में गोदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

और चूंकि इस प्रकार उक्त मंडल में एक पद रिक्त हो गया है अतः अब उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इस रिक्त पद को अधिसूचित करती है।

[फा सं. एल.बी. 11013/9/87-यू.एस.(एल)]
योगेन्द्र नारायण संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th November, 1987

NOTIFICATION

S.O. 1017(E).—Whereas Shri T. M. Aboo was appointed as a member of the Cochin Dock Labour Board (hereinafter referred to as the said Board) representing the Dock Workers by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport, Department of Surface Transport, (Transport Wing) No. S. O. 786(E), dated the 25th October, 1985;

And, whereas, in pursuance of clause (iv) of sub-rule (4) of rule 4 of the Dock-Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government is of the opinion that Shri T. M. Aboo has ceased to be a representative of the Dock Workers of the said Board ;

And, whereas, a vacancy has thus occurred in the said Board ;

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (4) of rule 4 of the said Rules, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LB-11013/9/87-US(L)]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987